

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

वर्ष 2021

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 64/21

GCMS No- 2021/214

बउनवानी:-1. मुरारी लाल पुत्र श्री किशोरीलाल शर्मा जाति ब्राहामण नि0 पिपलाई, तह0 बामनवास

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर बामनवास
2. उत्तर पश्चिमी रेलवे जरिये उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) दौसा, राज0

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम,2013 विरुद्ध अवार्ड आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपजिला कलेक्टर) बामनवास द्वारा दौसा गंगापुर सिटी नई रेल लाईन परिसीमन आर.ओ.बी. 24 के निर्माण हेतु ग्राम पिपलाई में अवाप्त भूमि ख0न0 256 का पारित दिनांक 05.2.2021 अवार्ड अपास्त किये जाने के संबंध में।

उपस्थित:-1. श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय

2. श्री अभय कुमार गुप्ता

वकील प्रार्थी

वकील अप्रार्थी 2

:- निर्णय :-

दिनांक:- 22.6.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम,2013 विरुद्ध अवार्ड आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपजिला कलेक्टर) बामनवास द्वारा दौसा गंगापुर सिटी नई रेल लाईन परिसीमन आर.ओ.बी. 24 के निर्माण हेतु ग्राम पिपलाई में अवाप्त भूमि ख0न0 256 रकबा 0.11 है0 में स्थित भूखण्ड का दिनांक 05.2.2021 को पारित अवार्ड विधि विरुद्ध एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीयों की भी तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि दौसा गंगापुर सिटी नयी रेल लाईन परियोजना में आर.ओ.बी. 24 के निर्माण हेतु ग्राम पिपलाई के ख0न0 256 रकबा 0.11 है0 प्रार्थी के पिता ने कय की गयी थी जिसका चारो पुत्रो में बटवारा करने पर प्रार्थी के हिस्से में एक भूखण्ड जिसकी माप 30x90 वर्ग फीट है। उक्त भूखण्ड मुख्य सडक पर होने के कारण निवास एवं व्यवसाय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उक्त भूखण्ड में रोड साईड में 30x30 वर्ग फीट में 3 दुकाने बना रखी है जिसमें प्रार्थी परचूनी, आशीष बिल्डिंग मैटेरियल, सैनेट्री, इत्यादि का व्यवसाय करता चला आ रहा है। तथा दुकानो के पीछे 60x30 वर्ग फीट में आवासीय मकान एवं उपरी मंजिल पर दो कमरे जीना बना हुआ है तथा 150 फीट गहरा ट्यूब वेल लगा हुआ है उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है इसलिए निवास एवं व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से उपयोगी होने के कारण अत्यधिक कीमती है। भूखण्ड का प्रार्थी व्यवसाय के उपयोग करता आ रहा है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त किये जाने हेतु अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 11 के तहत दिनांक 30.9.2019 को अधिसूचना जारी की गयी है। जिसमें पिपलाई व गोला गावडी की भूमि जो अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित की गयी थी इसके ख0न0, कुल रकबा, अवाप्त रकबा व किस्म भूमि इत्यादि वर्णित करते हुए भूमि धारको व हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्ति आमंत्रित की गयी थी। उक्त विज्ञप्ति में प्रार्थी की भूमि अवाप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित होने के बावजूद भी प्रार्थी को नुकसान नहीं था।

.....(1).....

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उक्त विज्ञप्ति मे पूर्व खातेदार गेन्दा पुत्र चन्द्रा रेगर का ही नाम अंकित था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सुनवायी का अवसर दिये बिना किसी आधार के प्रार्थी के भूखण्ड का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है जबकि प्रार्थी 1967 से आज तक उक्त भूखण्ड पर बतौर मालिक काबिज है। प्रार्थी को 84 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा का वाणिज्यिक दर 5864/-रु के हिसाब से एवं 167 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा आवासीय दर 5594/-रु के हिसाब से तथा निर्माण संरचना का 8100/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब दिया जाना चाहिए था। किन्तु प्रार्थी के पक्ष मे मात्र 27,98,800/-रु निर्माण संरचना का अवार्ड पारित किया गया है, जबकि प्रार्थी अवाप्त भूमि एवं निर्माण कार्य का 1,85,79,831/-रु प्राप्त करने का अधिकारी होने के कारण पारित अवार्ड निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधिनियम की धारा 3 (ग)(ii) मे यह परिभाषित किया गया है कि ऐसा कोई कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किन्तु ऐसे कुटुम्ब या कोई सदस्य या कृषि श्रमिक, अभिधारी या उस भूमि से लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे सभी व्यक्ति जो भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र मे कार्य कर रह हो जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि अर्जन से प्रभावित हो गया है उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आता है। इसके लिए अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी विस्थापन से हुई क्षति के लिये समुचित प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को अवाप्त भूखण्ड का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है तथा निर्माण संरचना का मुआवजा कम दिया गया है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 30(1), 30(2) एवं 30(III), धारा 31 के मापदण्डो के तहत प्रार्थी को अवाप्त भूमि/संरचना का अवार्ड पारित नहीं किया गया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त किये जाने हेतु अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 11 के तहत दिनांक 30.9.2019 को अधिसूचना जारी की गयी है। जिसका दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर मे सार्वजनिक सूचनार्थ दिनांक 3.10.2019 को प्रकाशन किया गया। यह तर्क भी दिया कि अधिनियम,2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सभी हितबद्ध व्यक्तियों को दिनांक 2.12.2019 को सूचना जारी की जाकर हितबद्ध व्यक्तियों को आक्षेपों/आपत्तियों के लिए 60 दिवस का समय दिया जाकर प्राप्त आपत्तियो की सुनवायी की गयी।

यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि को अवाप्ति किये जाने से पूर्व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अवार्ड पारित किया गया है, एवं प्रार्थी की ओर से ग्राम पिपलाई के ख0न0 256 के क्रम में आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। जिसका निस्तारण इस आधार पर किया गया था कि उक्त भूखण्ड एस.सी. के व्यक्ति द्वारा सामान्य जाति के व्यक्ति को अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र (1/-रु के स्टाम्प) पर विक्रय की गयी है जो विधिवत नहीं है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0न0 256 रकबा 0.11 है0 का प्रार्थी खातेदार नहीं है। इसलिए प्रार्थी को भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर स्थापित निर्माण कार्य का अवार्ड हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थी को किया जा चुका है। यह तर्क भी दिया कि भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि मे प्रस्तुत नहीं किया है इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा कोई वाद कारण उत्पन्न होने का कारण भी अंकित नहीं किया है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपने स्वामित्व संबंधी पंजीकृत दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किये है। अवाप्त भूमि पर मौके पर रेल्वे द्वारा विधिवत कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा चुका है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम,2013 के

.....(2).....


(सुरी) कुमार ओला
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा पारित अर्वाड के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों एवं नियत अवधि मे गठित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नही किया तथा माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी नही है। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पारित अर्वाड विधिसम्मत होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा०पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा आर.ओ.बी. 24 निर्माण हेतु वाके ग्राम पिपलाई तहसील बामनवास की भूमि ख०न० 256 रकबा 0.11 है० मे से प्रार्थी का भूखण्ड अवाप्त किया गया है तथा प्रार्थी उक्त अवाप्त भूमि/भूखण्ड का रिकार्डेड खातेदार नही है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा दुकानों एवं मकान का निर्माण कर रखा है जिसका अर्वाड प्रार्थी के पक्ष मे जारी किया जा चुका है। परन्तु अवाप्त भूखण्ड का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार नही होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में अर्वाड पारित किया जाना सम्भव नही है। उक्त संबंध में प्रार्थी की ओर से भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थी को अवाप्त भूमि का खातेदार माना जा सके। उपरोक्त तथ्य से यह सिद्ध होता है कि आरओबी निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का प्रार्थी खातेदार नही होने के कारण अर्वाड प्राप्त करने का उसको कोई अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का अर्वाड आवासीय/वाणिज्यिक दर से चाहा गया है परन्तु भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि की किस्म की डी.एल.सी. के अनुसार ही मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है तथा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रार्थी की अवाप्त भूमि का अर्वाड संबंधित खातेदार के पक्ष में पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मालिकाना हक तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पारित अर्वाड मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पारित अर्वाड दिनांक 5.2.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.6.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर